भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3869

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

3869. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत में उभरते "वृद्धावस्था संकट" को रेखांकित करने वाली हालिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत, अपर्याप्त पेंशन व सामाजिक सुरक्षा कवरेज और वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाला बढ़ता डिजिटल विभाजन शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वृद्धजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में 'वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' (एनएपीएसआरसी), 'अटल वयो अभ्युदय योजना' (एवीवाईएवाई) और संबंधित योजनाओं की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए विगत तीन वर्षों में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक देखभाल के लिए प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए वरिष्ठ नागरिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वरिष्ठ नागरिक देखभाल अवसंरचना और वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने तथा वृद्धजनों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (घ): जी, हां। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 और 2036 के बीच वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 2011 में 10 करोड़ से बढ़कर 2036 में 23 करोड़ होने का अनुमान है - अर्थात कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो जाएगी।

वृद्धजनों की आबादी की बढ़ती ज़रूरतों को समझते हुए और उन्हें होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए, भारत सरकार निम्नानुसार विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती है:-

I.) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) नामक एक व्यापक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना में 07 घटक हैं। एवीवाईएवाई योजना के घटकों का ब्यौरा **संलग्नक-I** में संलग्न है।

II.) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) योजना का कार्यान्वयन करता है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: (i) समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण, (ii) पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र)/सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) में समर्पित सेवा, (iii) 10 बिस्तरों वाले वार्डों वाले जिला अस्पतालों में समर्पित सुविधाएं, (iv) वृद्धजनों के लिए समर्पित तृतीयक स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, (v) मास मीडिया, लोक मीडिया और अन्य संचार चैनलों का उपयोग करके सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), और (vi) जराचिकित्सा में कार्यक्रम और अनुसंधान की निरंतर निगरानी और स्वतंत्र मूल्यांकन तथा एनपीएचसीई का कार्यान्वयन (vii) 2016-17 में राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना का तृतीयक घटक जिसके तहत 17 क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्र और 2 राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र स्थापित किए गए हैं।

(III). ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन करता है, जिसके तहत, पात्र वरिष्ठ नागरिकों को केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹200 प्रति माह (60-79 वर्ष) और ₹500 प्रति माह (80 वर्ष से अधिक) की पेंशन मिलती है। साथ ही, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अतिरिक्त राशि (टॉप-अप) भी देते हैं, जिससे एक बड़ी ग्रामीण आबादी को लाभ होता है।

(ख): मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) (जिसे पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसआरसी) के रूप में जाना जाता था) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और इसके परिणामों के आकलन के लिए आवधिक मूल्यांकन करता है। इस उद्देश्य के लिए, वरिष्ठ नागरिकों की उभरती ज़रूरतों और उनके सामने आ रही चुनौतियों का आकलन करने के लिए सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जाती है। साथ ही, नए वित्तीय चक्र के दौरान योजना को जारी रखने से पहले योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाता है।

इन मूल्यांकनों के निष्कर्षों और सिफारिशों का उपयोग योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, वरिष्ठ नागरिकों की उभरती जरूरतों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इन निष्कर्षों के आधार पर, वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के उपाय किए जाते हैं।

(ग): विगत तीन वर्षों के दौरान पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक देखभाल के लिए प्रमुख केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए वरिष्ठ नागरिकों का राज्यवार ब्यौरा **संलग्नक-II** में दिया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3869, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के घटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

i. **एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)**- वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं नि:शुल्क दी जाती हैं।

ii. **वरिष्ठ नागरिक राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी)**- वरिष्ठ नागरिक राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) के तहत, राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य कार्य योजना लागू करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जागरूकता सृजन, संवेदीकरण, मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा और राज्य विशिष्ट गतिविधियों जैसे कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

iii. **एल्डरलाइन: वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएससी)**- वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के समाधान और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, दिनांक 01.10.2021 को टोल-फ्री नंबर 14567 पर 'एल्डरलाइन' नाम की राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की गई थी।

iv. **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)** - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) योजना घटक लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं है और जो उम्र से जुड़ी दिव्यांगता या कमज़ोरी से जूझ रहे हैं, ताकि उनके शारीरिक कामकाज को काफी हद तक सामान्य स्थिति में लाया जा सके। यह योजना 01.04.2017 को शुरू की गई थी। इस योजना को एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी 'भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)' (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के माध्यम से लागू किया जाता है।

v. **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजेई)**– एसएजेई घटक वृद्धजनों की आम समस्याओं के लिए नए और अनोखे समाधानों को बढ़ावा देता है। इस योजना घटक के तहत, वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पाद, प्रक्रियाएं और सेवाएं तैयार करने वाले अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। स्टार्ट-अप का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और इक्विटी के रूप में निधियां इस शर्त के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं कि सरकारी निवेश फर्म की कुल इक्विटी के 49% से अधिक न हो।

vi. **वृद्धजनों की देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण-** योजना के इस घटक का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों की देखभाल करने वालों की पूर्ती और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को कम करना है, ताकि वृद्धजनों को बेहतर पेशेवर सेवाएं मिल सकें और साथ ही जराचिकित्सा के क्षेत्र में वृद्धजनों की देखभाल करने वाले पेशेवरों का एक कैडर तैयार किया जा सके।

vii. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहलें:** स्वस्थ और उत्पादक वृद्धावस्था से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए देश भर में कई पहलें लागू की जाती हैं।

संलग्नक-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3869, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

विगत तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान एवीवाईएवाई, एनएसएपी और एनपीएचसीई के तहत लाभार्थियों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एवीवाईएवाई	एनएसएपी	एनपीएचसीई
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16	585	185218
2	आंध्र प्रदेश	59959	663736	22544997
3	अरुणाचल प्रदेश	1602	5893	94291
4	असम	84591	695997	3350017
5	बिहार	55930	3157256	2493456
6	चंडीगढ़	1021	2378	375033
7	छत्तीसगढ़	4432	644429	5090344
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3111	8754	327295
9	दिल्ली	12209	7308	4540645
10	गोवा	3212	620548	801432
11	गुजरात	10479	259865	14229271
12	हरियाणा	41944	93178	4728205
13	हिमाचल प्रदेश	3149	130298	3236894
14	जम्मू-कश्मीर	10215	985094	2141469
15	झारखंड	17669	899422	1317214
16	कर्नाटक	28431	458813	18736028
17	केरल	6860	6486	51252080
18	लद्दाख	574	155	207858
19	लक्षद्वीप	528	1575079	60721
20	मध्य प्रदेश	32792	1122920	7732434
21	महाराष्ट्र	106981	55891	27756901
22	मणिपुर	34955	55734	325083
23	मेघालय	3227	24524	386994
24	मिजोरम	3072	45941	442043
25	नागालैंड	9096	113824	211034
26	ओडिशा	69426	1418631	15171586
27	पुडुचेरी	4462	17713	2124041
28	पंजाब	18316	112955	4953946
29	राजस्थान	25959	823972	9181508
30	सिक्किम	1264	16928	341878
31	तमिलनाडु	96560	1282504	37492654
32	तेलंगाना	35123	480315	5272449
33	त्रिपुरा	6453	135232	915839
34	उत्तर प्रदेश	130629	4722613	12447384
35	उत्तराखंड	7791	204557	1147063
36	पश्चिम बंगाल	68418	1281159	21348574
कुल योग		1000456	22130687	282963879
